भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 92
सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

हस्तिनापुर में सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

92. श्री मलूक नागर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था तो सुदृढ़ करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो विश्व के लगभग हर देश में ठहर गई थी;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रभावी रणनीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने हस्तिनापुर में पर्यटन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी हाँ, महोदय । देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इस महामारी ने दुनिया भर में इस उद्योग को प्रभावित किया । कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल पर्यटन जीडीपी (टीजीडीपी) वर्ष 2019-2020 में 5.18 से घटकर वर्ष 2020-21 में 1.50 हो गई । हालांकि, महामारी के बाद के वर्ष 2021-22 में कुल जीडीपी में टीजीडीपी का हिस्सा बढ़कर 1.77 हो गया ।

(स्त्रोत: राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से 'भारत और कोरोनावायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और बहाली हेतु नीतियां' विषय पर किया गया अध्ययन)

(ख) और (ग): भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और गैर- वित्तीय राहत उपायों, जिनसे पर्यटन उद्योग को सहायता मिलने की आशा है, का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है ।

(घ): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य द्वारा महाभारत परिपथ सहित 12 प्रमुख पर्यटक परिपथों को चिन्हित किया गया है । महाभारत परिपथ में हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अहिचत्रा, बरनावा, मथुरा, कौशांबी, गोंडा, लाक्षाग्रा, हंडिया (प्रयागराज), कीचकवध स्थल रथ (हमीरपुर) और विदुर कुटी (बिजनौर) आदि शामिल हैं । इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्तिनापुर में पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं । इन परियोजना घटकों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करना है और साथ ही एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भविष्य की उनकी क्षमता को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण करना है ।

*****

अनुबंध

श्री मलूक नागर द्वारा हस्तिनापुर में सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 92 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में **विवरण**

कोविड के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रु. का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी।

ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iii. पांच करोड़ रु. तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।

iv. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।

vii. पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र कर्जदारों को योजना के तहत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी सीमा को 4.5 लाख करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रु. कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त गारंटी कवर नागरिक उड्डयन क्षेत्र सहित आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित है।

viii. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

ix. पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' शुरू की थी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को उनकी देनदारियों का निर्वहन करने और इस योजना के तहत कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ ट्रैवल एजेंटों/परिवहन ऑपरेटरों द्वारा प्रत्येक को 10.00 लाख रु. तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण और पर्यटन

मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइड प्रत्येक के द्वारा 1.00 लाख रु. तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

x. पर्यटन मंत्रालय के एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य उपरोक्त लाभार्थियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना था, ताकि उनकी देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू किया जा सके। यह योजना राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की गई है।

xi. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

xii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xiii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

xiv. देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा मुफ्त में दिए हैं। पहले 5 लाख निःशुल्क पर्यटक वीजा जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।

xv. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।

xvi. गृह मंत्रालय ने 167 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए अभी तक ई-टूरिस्ट वीजा की बहाली की है।

*****